राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302013
टेलीफोन 0141–2226706, वेबसाईट– **https://lsg.urban.rajasthan.gov.in**

राजस्व अधिकारी ग्रेड– II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग–IV 2022

1. विभाग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जाँच की जावेगी। अतः अभ्यर्थी को निम्नाकिंत दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र मय संलग्कों एवं मूल दस्तावेज के व्यक्तिशः कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ दो अतिरिक्त प्रपत्र भी जारी किये गये हैं जिन्हें अभ्यर्थियों द्वारा विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर संलग्न किया जाना है।

(A) **प्रथम प्रपत्रः–** प्रथम प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की जानी है और प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर भी किये जाने हैं। उक्त प्रपत्र को विस्तृत आवेदन पत्र पर द्वितीय पेज के तौर पर संलग्न किया जाना है।

(B) **द्वितीय प्रपत्रः–** उक्त प्रपत्र विभाग स्तर पर की जाने वाली पात्रता जाँच से संबंधित शीट है। इसमें अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का इन्द्राज नहीं करें और प्रथम पेज के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

3. विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म **दो प्रतियों** में तथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एक प्रति में प्रस्तुत करने हैं। विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक कर मय राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने हैं। यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो ''लागू नहीं'' अंकित करें। साथ ही रू. 50/- का ऑनलाईन शुल्क कटवाकर रसीद विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
4. संलग्नकः– अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंकतालिकाएं संलग्न करें। **स्नातक के तीनों वर्षों/सभी सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों/सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाएं भी आवश्यक रूप से संलग्न करें।** इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जहाँ लागू हो यहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, विवाह–विच्छिन्न प्रमाण–पत्र (डिक्री) एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आयें। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें।
5. अभ्यर्थी द्वारा सैकण्डरी/सी०सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर की सभी अकंतालिकाएँ और प्रमाण पत्र/डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हैं।
6. फोटो एवं हस्ताक्षरः– विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फार्म में जहाँ भी फोटो लगाई जानी हैं वहीं फोटो लगावें और जहाँ हस्ताक्षर किये जाने हैं वहाँ पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।
7. **जाति प्रमाण पत्र :–** एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर **पिता के नाम के आधार पर** जारी प्रमाण पत्र मान्य होगें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति

प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण–पत्र वाले शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

8. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें।

9. **विधवा श्रेणी (WD)** :– उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई. की अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें पति–पत्नि होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।

10. **विवाह–विच्छिन्न श्रेणी (DV)** :– उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थियो द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करें।

11. **भूतपूर्व सैनिक (EX) :– इस श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ. कार्ड की फोटोप्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जारी एन.ओ.सी., सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति, दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज व शपथ–पत्र संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्यरत है तो उसे उक्त पदों हेतु कार्यग्रहण करने से पूर्व नियोक्ता को विभिन्न पदों हेतु आवेदन किये जाने का दिनांकवार नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार सेना द्वारा जारी एन.ओ.सी. की प्रति व अन्य वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें।**

12. **विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र** :– नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निःशक्तता का प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तता का स्पष्ट उल्लेख हो एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम उल्लेखित ना हो।

13. जिन अभ्यर्थियों नें राजस्थान नगर पालिका अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा और स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी के रुप में क्षैतिज रुप से आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी स्वयं के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवारत प्रमाण–पत्र साथ लावें।

14. अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास व विकलांगता प्रमाण–पत्र का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी/स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

15. ऑनलाईन आवेदन में अंकित नाम व 10 वीं की अंकतालिका में अंकित नाम में अतंर होने पर अभ्यर्थी गजट पत्र अवश्य रूप से लेकर आवें।

16. अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट **https://lsg.urban.rajasthan.gov.in** पर जारी किये गये काउन्सलिंग पत्र, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आयें।

17. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जावेगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

18. काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।